न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1२०१८ निगरानी

निगरानी-4443/2018/विदिशा/भू.रा.

527

टीकाराम पुत्र रामप्रसाद लोधी,

निवासी- सुआखेड़ी, तहसील गुलाबगंज, जिला- विदिशा-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

श्री एस० के० मवैया
द्वारा आज दि० 16-2-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 25-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.2.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बिरुद्ध

१- करन सिंह
२- ठाकुर सिंह
पुत्रगण मूलचन्द लोधी

निवासीगण- ग्राम सुआखेड़ी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

------ अन्य प्रतिप्रार्थीगण

३- भालू सिंह पुत्र रामप्रसाद मृत वारिसान
(क) कैलाश सिंह पुत्र भालू सिंह
(ख) बन्तावाई
(ग) कैलावाई
(घ) गीतावाई
पुत्रियां भालू सिंह

९६।०१८

४- नन्नू सिंह पुत्र भालू सिंह
५- हरी सिंह पुत्र प्यारेलाल लोधी मृत वारिसान
(अ) कल्याण सिंह पुत्र हरी सिंह लोधी
६- धनीराम पुत्र रामप्रसाद लोधी
७- निहाल सिंह पुत्र प्यारेलाल लोधी
मृत वारिसान-
(य) रामचरण पुत्र निहाल सिंह लोधी
(र) रमेश सिंह पुत्र निहाल सिंह
८- काशीराम पुत्र प्यारेलाल लोधी,
९- बंशीलाल पुत्र काशीराम लोधी
समस्त निवासीगण ग्राम सुआखेड़ी, तहसील- गुलाबगंज, जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

...रानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय ग्यारसपुर जिला विदिशा ...नांक २६-५-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १६५६। ... ७०-ए। २०१५-१६ अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रतिप्रार्थी क्रमांक १ व २ की ओर सेअसत्य तथ्यों के आधार पर एक लम्बे समय पश्चात दिनांक १०-६-८६ को तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुध्द दिनांक ~~को~~ ०१-७-१६ को अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की है। एस०डी०ओ० महोदय ने विवादित आदेश में विलम्ब क्षमा किये जाने का न तो कोई आधार ही उल्लेखित किया है और न ऐसा कोई ~~xxxxxx~~ आधार प्रकरण में उपलब्ध ही है ऐसी स्थिति में पारित आदेश निरस्तीयोग्य है।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं बोलताहुआ आदेश नहीं है।

५- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के न्यायालय में विलम्ब क्षमा के आवेदन पत्र का उत्तर एंव प्रति शपथपत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उत्तर एंव प्रति शपथ पत्र पर कोई विचार ही नहीं किया गया है।

६- यह कि, विलम्ब के प्रत्येक दिवस का स्पष्टीकरण न होते हुये भी ~~विलम्ब~~ विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है।

XXIX(a)-BR(H)-11

527

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4443/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	